रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्रहायण 11, 1927

No. 493] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

IndiaCode

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2005

**सा.का.नि. 703(अ).**—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811(अ) तथा दिनांक 21 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603(अ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, अध्यक्ष।

(ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, सदस्य।

(iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग, सदस्य।

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 674/1/2005-सी. शु. VIII]

जीत मल, अवर सचिव

**पाद टिप्पणी :** अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811(अ) एवं 603(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (i) में दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 एवं 21 सितम्बर, 2005 को प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2005

**G.S.R. 703(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R.811(E) dated 15th December, 2004 and No. G.S.R. 603(E) dated 21st September, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice T. S. Thakur, Chairman

(ii) Hon'ble Mr. Justice A. K. Sikri, Member

(iii) Hon'ble Mr. Justice Pradeep Nandrajog, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2005.

[F. No. 674/1/2005-Cus. VIII]

JIT MAL, Under Secy.

**FOOTNOTE:** The Notification No. G.S.R. 811(E) and 603 (E) were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 15th December, 2004 and 21st September, 2005 respectively.

3470 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.